

कार्यालय जिला अधिकारी अल्मोड़ा
संख्या 3330 दिनांक 10/01/25

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
भिकियासैण।

सेवा में,

✓ जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।



10 JAN 2025

NO. 175
File No. 7.41
Date 17-01-25

पत्रांक:- 18/मुख्य/2025, दिनांक 07.01.2025।

विषय:- प्राप्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 7933/छब्बीस-/2023-24, दिनांक 27.09.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्राप्त मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि जो संयुक्त निरीक्षण में उपयुक्त पायी गयी है को समायोजन करवाये जाने के अनुरोध के क्रम में उपयुक्त पायी गयी कुल 12.636हे० भूमि के सापेक्ष याचक विभाग के खण्डाधीन मोटर मार्ग हेतु वांछित कुल 10.73हे० भूमि का उपयोग एवं अवशेष बची भूमि 1.906हे० भूमि का विवरण मय खसरा खाता संख्या सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

प्राप्त निर्देशों के क्रम में तहसीलदार स्याल्दे को प्रकरण में यथानिर्देश वांछित आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार स्याल्दे द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 53/विविध/2024-25 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। तहसीलदार स्याल्दे की आख्यानुसार ग्राम कनारीथौड़ के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या 35 बसरा न० 02 श्रेणी 9(3)ड के खेत संख्या 1897 रकवा 5.500हे० एवं खेत संख्या 2371 रकवा 3.313हे० भूमि एवं ग्राम कलझीपा रजवार के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या 62 बसरा नम्बर 02 मध्ये खेत संख्या 1923 रकवा 3.823हे० भूमि स्थित है(खतौनी संलग्न)। इस प्रकार उपरोक्त दोनों ग्रामों के उक्त खेत नम्बरों मध्ये कुल 12.636हे० भूमि का संयुक्त निरीक्षण उपरान्त उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

उपरोक्तानुसार तहसीलदार स्याल्दे से प्राप्त आख्या मय खतौनी संलग्न कर सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

(सीमा विश्वकर्मा)

उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या- 7933(1)/छब्बीस-एफ०सी/2023-24 दिनांक 14-01-2025

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्डलो०नि०वि० अल्मोड़ा।

महोदय,

कृपया पुर्व प्रेषित पत्र संख्या-7933/छब्बीस-/2023-24, दिनांक 27-09-2024 द्वारा दिये निर्देशो अनुसार उक्त प्रति में विहित अपेक्षा के क्रम में कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभाषी अधिकारी